न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 49/2024 तारीख रजू:– 18.07.2024

जीसीएमएस नं. 2024/341

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

मदीना खान पुत्र मुंशी जाति गद्दी मुसलमान निवासी गद्दीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ———————————————————— प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली ———— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

बाबत् राजस्व रिकार्ड में नाम संशोन किये जाने

उपस्थित:– 1. श्री बी.एल. भोजवाल प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :– 06.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत् राजस्व रिकार्ड में नाम संशोधन किये जाने विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि खाता सं0 124 व पुराना खाता सं0 112 के अनुसार आराजी खसरा नं0 1891 रकबा 0.06 है0, 705 रकबा 0.04 है0, 728 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.18 है0, वाके ग्राम गद्दीपुरा तहसील सूरौठ में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती से गुड्डी पुत्री मुंशी दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीया का नाम मदीना खान पुत्र मुंशी है। यही प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थीया के आधार कार्ड में प्रार्थीया का नाम मदीना खान है तथा प्रार्थीया के परिवार राशन कार्ड में भी प्रार्थीया का नाम क्रम संख्या 2 पर मदीना खान दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में गलती नामान्तरण भरते समय सहवन से प्रार्थीया का नाम मदीना खान के स्थान पर गलती से गुडडी दर्ज हो गया है। जो न्याय हित में संशाधित किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्राथीया को आवश्यक कार्य हेतु जमाबंदी की आवश्यकता पडी तो प्रार्थीया पटवारी हल्का लहचौडा के पास गयी तो प्रार्थीया को पटवारी हल्का ने दिनांक 09.07.2024 को बताया कि तुम्हारा नाम गलती से गुडडी दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

हो गया है। इस पर प्रार्थी ने पटवारी हल्का से प्रार्थीया का नाम गुडडी के स्थान पर मदीना खार दर्ज करने का निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने मना कर दिया। इसके बाद प्रार्थीया श्रीमान तहसीलदार जी तहसील सूरौठ के पास गया तो तहसीलदारजी सूरौठ ने सक्षम अदालत से आदेश लाने को कहा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट बावत संशोधन राजस्व रिकॉर्ड पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र माननीय अदालत हाजा को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट पेश किया जा रहा है जिस पर उचित कोर्ट फीस एक रूपया होती है जो अदा की गयी है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट बाबत् राजस्व रिकार्ड में नाम संशोधन किये जाने पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड खाता सं0 नया 124 व पुराना 112 में प्रार्थीया का नाम गुड्डी पुत्री मुंशी के स्थान पर सही नाम मदीना खान पुत्री मुंशी दर्ज कर संशोधन कर दिया जावे। दीगर दादरसी जो करीने इंसाफ बहक प्रार्थीया साबित हो वह भी अता फरमायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने बाद तामील उपस्थित होकर पत्रांक कोर्ट/2024/537 दिनांक 17.12.2024 से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि मुताविक पटवारी लहचौडा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत विजयपुरा द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट के आधार पर बिन्दूवार रिपोर्ट निम्नानुसार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि श्रीमान् के आदेश की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का ग्राम गद्दीपुरा में मौके पर पहुँचे। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों ने बताया कि मुंशी के वारिसान में गुड्डी नाम की कोई वारिस नहीं है जबकि गलती से राजस्व रिकार्ड में ग्राम गद्दीपुरा के खाता संख्या 124 में प्रार्थीया का नाम गुड्डी दर्ज रिकार्ड हो गया है, जबकि मजमेआम में पूछताछ करने पर उनका सही नाम मदीना खान होना बताया गया।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थीया का सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में मदीना खान नाम दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

अतः प्रार्थीया का नाम गुड्डी पुत्री मुंशी के स्थान पर मदीना खान पुत्री मुंशी खान किया जाना उचित रहेगा।

वकील प्रार्थीया ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 263798409004 मदीना खान पत्नि जमीन खान निवासी 22, प्रगति नगर, पुलिस लाइन, बजरंग नगर, अख्वा, कोटा राजस्थान, फोटो प्रति पेन कार्ड सं0 DIXPK8147N मदीना खान, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 00420 जमील खान पुत्र नन्न खां निवासी पुलिस लाईन, 22 प्रगति नगर पुलिस लाइन, कोटा वार्ड नं0 46, कोटा, पेश किये हैं।

वकील प्रार्थीया उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1891 रकबा 0.06 है0, 705 रकबा 0.04 है0, 728 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम गद्दीपुरा तहसील सूरौठ की खातेदारी गुड्डी पुत्री मुंशी हि0 1/27 जाति गद्दी मुसलमान सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 263798409004 मदीना खान पत्नि जमीन खान निवासी 22, प्रगति नगर, पुलिस लाइन, बजरंग नगर, अख्वा, कोटा राजस्थान के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति पेन कार्ड सं0 DIXPK8147N मदीना खान के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 00420 जमील खान पुत्र नन्न खां निवासी पुलिस लाईन, 22 प्रगति नगर पुलिस लाइन, कोटा वार्ड नं0 46, कोटा के नाम से जारी किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त जबाव के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1891 रकबा 0.06 है0, 705 रकबा 0.04 है0, 728 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

गद्दीपुरा तहसील सूरौठ की खातेदारी गुड्डी पुत्री मुंशी हि0 1/27 जाति गद्दी मुसलमान सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम मदीना खान दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया अपना नाम गुड्डी पुत्री मुंशी हि0 1/27 जाति गद्दी मुसलमान सा0 ग्राम खातेदार के स्थान पर मदीना खान पुत्री मुंशी हि0 1/27 जाति गद्दी मुसलमान सा0 ग्राम खातेदार दुरूस्त कराने की अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1891 रकबा 0.06 है0, 705 रकबा 0.04 है0, 728 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम गद्दीपुरा तहसील सूरौठ की खातेदारी गुड्डी पुत्री मुंशी हि0 1/27 जाति गद्दी मुसलमान सा0 ग्राम खातेदार के स्थान पर मदीना खान पुत्री मुंशी हि0 1/27 जाति गद्दी मुसलमान सा0 ग्राम खातेदार संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **06.02.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 6/2/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)